रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29062024-255039
CG-MH-E-29062024-255039

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 449] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 27 जून, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.एडी-एन.आर.ओ/जीएन/2024/186.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में,-

   I. विनियम 18घ के बाद, निम्नलिखित नया अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय IV-क

धोखाधड़ी या बाजार के गलत इस्तेमाल को रोकने और उसका पता लगाने के लिए संस्थागत व्यवस्था

परिभाषाएँ-

18ङ. नीचे जिन शब्दों आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ इस अध्याय के प्रयोजनार्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो –

(क) "नामनिर्दिष्ट निदेशक" का वही अर्थ होगा जैसा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 [प्रीवेनश्न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (मेन्टेनेन्स ऑफ रिकॉड्र्स) रूल्स, 2005] में इसके लिए दिया हुआ है;

(ख) "धोखाधड़ी" (कपट) का वही अर्थ होगा जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन्स, 2003] में इसके लिए दिया हुआ है;

(ग) "कर्मचारियों' में शामिल होंगे – स्टॉक दलाल के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति, उसका वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, उसके नामनिर्दिष्ट निदेशक, अन्य कर्मचारी और उसके यहाँ कार्यरत ऐसे ही व्यक्ति;

(घ) "प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति" (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) का वही अर्थ होगा, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) में इसके लिए दिया हुआ है;

(ङ.) "बाजार के गलत इस्तेमाल" में शामिल है - ऐसी कोई हेराफेरी, धोखाधड़ी और ट्रेडिंग का ऐसा कोई अनुचित तरीका (जिसमें 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खाते' के जरिए भी ऐसा करना शामिल है), जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधी विनियम) या अधिनियम की धारा 12क का उल्लंघन हो सकता हो;

(च) "गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खाते" (म्यूल अकाउंट) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में इसके लिए दिया हुआ है;

(छ) "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल" का वही अर्थ होगा, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में इसके लिए दिया हुआ है;

(ज) "संदिग्ध गतिविधि" का अर्थ होगा - केवाईसी संबंधी अपेक्षाओं के सिलसिले में की गई धोखाधड़ी या उनसे जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि, ऑर्डर डाले जाने या ट्रेडिंग करने से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि ।

ट्रेडिंग की गतिविधियों की निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ

18च. स्टॉक दलाल के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति और उसका वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (जिसमें उसके नामनिर्दिष्ट निदेशक और उसके यहाँ ऐसे ही अन्य ओहदे पर कार्यरत व्यक्ति भी शामिल हैं) ट्रेडिंग गतिविधियों की निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्थाएँ करेगा, ताकि समस्त विनियामक अपेक्षाओं (जो बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ) का पालन सुनिश्चित हो सके, और इस तरह से उसके ग्राहक, कर्मचारी या प्राधिकृत व्यक्ति यदि कोई धोखाधड़ी करने या बाजार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो उसका पहले ही पता लगाया जा सके, उसे रोका जा सके और ऐसे मामलों की जानकारी भी मिल सके ।

स्टॉक दलाल और उसके कर्मचारियों के दायित्व

18छ. (1) स्टॉक दलाल केवाईसी की पर्याप्त निगरानी की व्यवस्था करेगा, और उन ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी जुटाएगा, जिनके खाते उस स्टॉक दलाल के यहाँ खुले हुए हों या जो उस स्टॉक दलाल के यहाँ अपना खाता खुलवाना चाहते हों या फिर जो उस स्टॉक दलाल की मदद से या उस स्टॉक दलाल की किसी एजेंसी के जरिए प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित कोई लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करते हों।

(2) स्टॉक दलाल यह ध्यान में रखकर ही कि वह क्या कारोबार कर रहा है और उसके कार्यों का दायरा कितना बड़ा है, ऑर्डर तथा ट्रेड की निगरानी करने और आंतरिक नियंत्रण हेतु निर्धारित की गई प्रक्रियाओं की निगरानी करने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा, ताकि उसके ग्राहक, कर्मचारी या प्राधिकृत व्यक्ति यदि कोई धोखाधड़ी करने या बाजार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उसका पहले ही पता चल पाए।

(3) निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाओं हेतु जो भी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँ वे स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हों, और जिनमें उसके कर्मचारियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का साफ-साफ उल्लेख हो और साथ ही यह भी साफ-साफ उल्लेख हो कि मामलों की जानकारी इस अध्याय के विनियम 18ज के अनुसार कैसे दी जाएगी और उनके संबंध में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

(4) स्टॉक दलाल के यहाँ लेनदेन (ट्रांजैक्शन) की कितनी भरमार रहती है और उसके कारोबार का दायरा कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से उसे निगरानी और आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था करवानी होगी।

(5) अलग-अलग परिस्थितियों में अलर्ट कब-कब जारी होंगे, यह वाजिब तरीके से तय किया जाएगा और यह प्रक्रिया लिखित रूप में निर्धारित की जाएगी, और साथ ही यह भी साफ-साफ उल्लेख किया जाएगा कि यह प्रक्रिया किन तर्कों के आधार पर निर्धारित की गई है।

(6) स्टॉक दलाल का निदेशक मंडल या उसके यहाँ ऐसे ही अन्य ओहदे पर कार्यरत व्यक्ति समय-समय पर अपनी व्यवस्थाओं (सिस्टमों), प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा और उनमें जरूरी बदलाव करेगा, और ऐसा एक कलैंडर वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा, ताकि ट्रेडिंग गतिविधियों की और बेहतर ढंग से निगरानी हो सके, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में और विनियमों आदि में हो रहे बदलावों [जिनमें शामिल हैं - केवाईसी प्रक्रियाओं में और ऑर्डर एवं ट्रेड की निगरानी व्यवस्थाओं (सिस्टमों) में लाई जा रही नई तकनीक (ऑटोमेशन)] के हिसाब से कदम से कदम मिलाकर चला जा सके।

(7) स्टॉक दलाल के यहाँ ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं (सिस्टम) होंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अपने खातों (प्रोप्राइटरी अकाउंट) का इस्तेमाल केवल उनके अपने सौदों (प्रोप्राइटरी ट्रेड) के लिए ही हो और यह भी सुनिश्चित हो सके कि उसके कामकाज बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार चलें।

(8) स्टॉक दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ट्रेडिंग टर्मिनलों का इस्तेमाल केवल उसके कर्मचारियों और/या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा और उन स्थानों पर ही किया जाए, जिनकी मंजूरी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दी गई हो, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे टर्मिनलों का इस्तेमाल उसके ग्राहक किसी भी तरह से न करें।

(9) स्टॉक दलाल 'गलत इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले खातों' या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो भी प्रक्रियाएँ और व्यवस्थाएँ निर्धारित करे, वे स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हों।

(10) स्टॉक दलाल का कोई भी कर्मचारी किसी भी धोखाधड़ी का, बाजार के गलत इस्तेमाल का या किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही उसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ प्रबंध-मंडल को देगा।

रिपोर्ट करने आदि की व्यवस्थाएँ

18ज. (1) स्टॉक दलाल की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) या उसका निदेशक मंडल या उसके यहाँ ऐसे ही अन्य ओहदे पर कार्यरत व्यक्ति इन विनियमों के इस अध्याय के तहत निर्धारित किए गए ढांचे के प्रावधानों के पालन की समीक्षा एक तिमाही में कम से कम एक बार करेंगे, और सभी जरूरी आँकड़ों का विश्लेषण करके इस बात

की पुष्टि करेगा कि आंतरिक नियंत्रण हेतु और रिपोर्ट करने हेतु जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, वे पर्याप्त और कारगर हैं या नहीं ।

(2) स्टॉक दलाल किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही उसकी सूचना (उसके ब्यौरों सहित) यथासंभव जल्द से जल्द, किंतु किसी भी मामले में संदिग्ध गतिविधि का पता चलने से अड़तालीस घंटों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंजों को उस तरह से देगा, जैसा बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।

(3) स्टॉक दलाल संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी और बाजार के गलत इस्तेमाल के मामलों के संबंध में एक संक्षिप्त विश्लेषण और इन मामलों के संबंध में 'की गई कार्रवाई' की रिपोर्ट छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत करेगा, किंतु यदि ऐसा कोई मामला सामने न आया हो तो 'शून्य रिपोर्ट' प्रस्तुत करेगा ।

(4) आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन नीति, निगरानी संबंधी नीति और नए ग्राहक बनाने संबंधी नीति से हटकर यदि कुछ किया जाता है, तो उसकी जानकारी देनी होगी और साथ ही यह भी बताना होगा कि उसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, और यह सब समय-समय पर स्टॉक दलाल की संबंधित समिति, उसके निदेशक मंडल या उसकी ऐसी ही किसी अन्य समिति या निकाय को बताना होगा, और उसकी जानकारी इस विनियम के उप-विनियम (3) के अनुसार स्टॉक दलाल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में भी देनी होगी ।

(5) स्टॉक दलाल किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर स्टॉक एक्सचेंजों का मार्गदर्शन लेगा, लेकिन वह ऐसा मार्गदर्शन तभी लेगा जब ऐसी संदिग्ध गतिविधि के संबंध में उसके पास सीमित जानकारी ही उपलब्ध हो और वह इस सीमित जानकारी के आधार पर यह तय न कर पा रहा हो कि किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं ।

पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी)

18झ. (1) स्टॉक दलाल पर्दाफाश किए जाने संबंधी नीति (विसल ब्लोअर पॉलिसी) निर्धारित करेगा (जो स्पष्ट तौर पर लिखित रूप में हो) और उसे लागू करेगा, ताकि यदि उसके कर्मचारियों और अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर) को ऐसा लगे कि कहीं कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई अनुचित या गलत तरीका अपनाया जा रहा है, विनियमों या कानूनी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर संचालन (गवर्नेंस) की प्रक्रिया में कहीं कोई खामियाँ हैं, तो ऐसे में वे इस ढाँचे के जरिए गोपनीय तरीके से अपनी बात पहुँचा सकें ।

(2) इस नीति में पर्दाफाश करने वाले व्यक्तियों (विसल ब्लोअर) को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी किए जाएँ ।

(3) इस विनियम के तहत निदेशक मंडल के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें [जिनमें प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, नामनिर्दिष्ट निदेशकों या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें भी शामिल हैं] स्टॉक दलाल की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) या उसके ऐसे ही अन्य निकाय (बॉडी) के पास की जाएंगी, और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के पास की जाएंगी।"

बबीता रायुडू , कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./219/2024-25]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा

ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा

ग) 21 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा

घ) 16 दिसम्बर 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा

ङ) 6 जुलाई 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा

च) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा

छ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा

ज) 30 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा

झ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

ञ) 15 नवम्बर 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा

ट) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा

ठ) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा

ड) 23 सितम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा

ढ) 20 नवम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/20795/2003, द्वारा

ण) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

त) 1 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा

थ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा

द) 25 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा

ध) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

न) 11 अगस्त 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा

प) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा

फ) 19 नवम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा

ब) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा

भ) 6 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा

म) 19 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

य) 17 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा

कक) 5 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा

खख) 27 सितम्बर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा

गग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

घघ) 8 अक्तूबर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671, द्वारा

ङङ) 8 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएल/2015-16/017, द्वारा

चच) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित]

छछ) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/005, द्वारा

जज) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/03, द्वारा

झझ) 30 जुलाई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/27, द्वारा

ञञ) 22 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/30, द्वारा

टट) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

ठठ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/11, द्वारा

डड) 30 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14, द्वारा

ढढ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

णण) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

तत) 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/73, द्वारा

थथ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./जी.एन./2023/116, द्वारा

दद) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

धध) 24 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/140, द्वारा

नन) 16 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/186.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992 -

I. after regulation 18D, the following new chapter shall be inserted, namely, -

"**Chapter IVA**

INSTITUTIONAL MECHANISM FOR PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD OR MARKET ABUSE

Definitions-

18E. For the purpose of this chapter, unless the context otherwise requires –

(a) "Designated Director" shall have the same meaning as assigned to it under the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records Rules), 2005;

(b) "fraud" shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003;

(c) "employees" shall include key managerial personnel, senior management, Designated Directors, other employees and analogous or equivalent persons of the stock broker;

(d) "Key managerial personnel" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (51) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(e) "market abuse" includes a manipulative, fraudulent and unfair trade practice including through a mule account which may contravene any of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 or the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or Section 12A of the Act;

(f) "mule account" shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003;

(g) "senior management" shall have the same meaning as assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(h) "suspicious activity" shall mean a fraudulent or suspicious activity in respect of know your client requirements, suspicious order placing or trading activities.

Systems for surveillance of trading activities and internal controls.

18F. The key managerial personnel and senior management including Designated Directors and persons of other equivalent or analogous rank of the stock broker shall put in place adequate systems for surveillance of trading activities and internal control systems to ensure compliance with all the regulatory requirements as

may be specified by the Board or the stock exchanges from time to time, for the detection, prevention and reporting of potential fraud or market abuse by its clients, employees or Authorised Persons.

Obligations of the stock broker and its employees.

18G. (1) The stock broker shall establish and maintain adequate know your client surveillance systems and shall obtain adequate information to determine and verify the identification of the clients who have or propose to have accounts with such stock brokers or conduct any transaction related to the securities market through the aid or agency of such stock broker.

(2) The stock broker shall, having regard to the nature of business and the size of its operations, establish and maintain adequate surveillance system for monitoring the orders and trades and internal control procedures, in order to detect potential fraud or market abuse by its clients, employees or Authorised Persons.

(3) The policies and procedures relating to the surveillance systems and internal controls shall be clearly documented and shall define the roles and responsibilities of its employees, the corrective actions to be taken and the guidelines for reporting of activities as specified under regulation 18H of this Chapter.

(4) The stock broker shall customize its surveillance systems and internal controls in a manner that is commensurate with the complexity of the transactions being undertaken by it and its business activities.

(5) The thresholds for generation of alerts for various scenarios shall be set at a reasonable level and be documented along with clear rationale for the same.

(6) The Board of Directors or persons of other equivalent or analogous rank of the stock broker shall review and update the systems, processes, and control procedures on a periodic basis and in any case not less than once in a calendar year, to keep pace with the developments in the securities market and regulatory changes, including the progressive adoption of automated know your client procedures and the order and trade surveillance systems to enhance the monitoring of trading activities.

(7) The stock broker shall have adequate systems in place to ensure that its proprietary accounts are used only for the purpose of carrying out proprietary trades and that its operations are in accordance with the requirements as may be specified by the Board or the stock exchanges from time to time.

(8) The stock broker shall ensure that its trading terminals are used only by its employees and/or Authorised Persons and only at locations approved by the stock exchanges and that such terminals shall not be used by its clients in any form or manner.

(9) The stock broker shall establish and maintain documented processes and systems to detect potential mule accounts or suspicious activity.

(10) Any employee of the stock broker, upon having knowledge of any fraud, market abuse or suspicious activity shall forthwith inform the same to the senior management.

Escalation and reporting mechanisms.

18H. (1) The Audit Committee or the Board of Directors or persons of other equivalent or analogous rank of the stock broker, shall review the compliance with the provisions of the framework under this Chapter of these regulations not less than once in a quarter and shall verify the adequacy and efficiency of the systems for internal control and reporting by analysing the relevant data.

(2) The stock broker shall on the detection of any suspicious activity, inform the same along with the details to the stock exchanges, as soon as reasonably possible, but in any case not later than forty eight hours from such detection, in such manner as may be specified by the Board or the stock exchanges from time to time.

(3) The stock broker shall submit a summary analysis and action taken report on instances of suspicious activity, fraud and market abuse or a 'nil report' where no such instances were detected, on a half-yearly basis to the stock exchanges.

(4) Any deviation in adherence to internal controls, risk management policy, surveillance policy, policy for on-boarding of clients along with the proposed corrective actions for such deviation shall be placed before the appropriate Committee, Board of Directors or such other equivalent or analogous bodies of the stock broker at regular intervals and such deviations shall also form a part of the report to be submitted by the stock broker to the stock exchanges in terms of sub-regulation (3) of this regulation.

(5) The stock broker shall obtain guidance from the stock exchanges on any suspicious activity which were identified by it, but the violation of the provisions of any applicable law in respect of such activity could not be ascertained due to the limited information available with the stock broker.

Whistle blower policy.

18I. (1) The stock broker shall establish, implement and maintain documented whistle blower policy providing for a confidential channel for employees and other stakeholders to raise concerns about suspected fraudulent, unfair or unethical practices, violations of regulatory or legal requirements or governance vulnerability.

(2) The policy should establish procedures to ensure adequate protection of the whistle blowers.

(3) The complaints under this regulation against the Board of Directors including those against the Managing Director, Chief Executive Officer, key managerial personnel, Designated Directors or Promoter shall be addressed to the Audit Committee or other analogous body of the stock broker and the complaints against other employees shall be addressed to the Compliance Officer."

BABITHA RAYUDU, EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./219/2024-25]

Footnotes:

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E).

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:

    a) November 28, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).

    b) January 5, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).

    c) January 21, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).

    d) December 16, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).

    e) July 6, 1999 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).

    f) March 14, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).

    g) March 28, 2000 by SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).

    h) August 30, 2000 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).

    i) May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

    j) November 15, 2001 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).

    k) February 20, 2002 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002vide S.O. No. 220 (E).

    l) September 27, 2002 by SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).

m) September 23, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).

n) November 20, 2003 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795 /2003.

o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

p) August 1, 2006 by the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).

q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).

r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).

s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.

t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/GN/2008/20/134766.

u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009-10/11/167759.

v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/GN/2009-10/21/183853.

w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.

x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD –NRO/ GN/ 2011 – 12/01/11486.

y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment)Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.

z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/19/26273.

aa) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129.

bb) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LADNRO/GN/2013-14/25/24775.

cc) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

dd) October 8, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671.

ee) September 8, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2015 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2015-16/017.

ff) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/038.

gg) July 13, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2017-18/005.

hh) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03.

ii) July 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/27.

jj) March 22, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/03.

kk) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

ll) May 08, 2020 the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011.

mm) March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations,2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/14.

nn) May 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

oo) August 03, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

pp) February 23, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/73.

qq) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/116.

rr) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

ss) July 24, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/140.

tt) August 16, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA